

राजस्थान सरकार
निदेशालय को I एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभा I 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल :jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/एसीपी/2022-23/अलेसे-III/1585-86 दिनांक :- 19.12.2022

कोषाधिकारी,
बून्दी।

विषय:- श्री केजार अली, कनिष्ठ लेखाकार की तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत करने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1258 दिनांक 12.10.2022 के क्रम में।

उरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा श्री केजार अली (मेरिट संख्या 894/86), कनिष्ठ लेखाकार की द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृति के लिए प्रकरण प्राप्त हुआ है, किन्तु इनके नियमानुसार वांछित वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग में प्राप्त नहीं होने के कारण तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है। विभाग में अप्राप्त कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक (सर्वश्री)	मेरिट संख्या	अप्राप्त कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन
1.	केजार अली	894/86	वर्ष 2009-10 से 2010-11, वर्ष 2014-15 से 2015-16, वर्ष 2017-18 से 2018-19 एवं वर्ष 2021-22

अतः नियमानुसार श्री केजार अली, कनिष्ठ लेखाकार की वांछित वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विभाग में प्रस्तुत किए जाने एवं नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में संतान घोषणा पत्र एवं कार्यालयाध्यक्ष के संतोष जनक सेवा प्रमाण पत्र भिजवाने पर तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत किए जाने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:-एफ.4(ई)(1)(6)/एसीपी/2022-23/अलेसे-III/1585-86 दिनांक :- 19.12.2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री केजार अली पुत्र स्व. श्री ताहिर अली, बौहरा मोहल्ला बून्दी- 323001 सेवानिवृत्त कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर लेख है कि नियमानुसार वांछित वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन निदेशालय में प्रस्तुत करावें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
2. गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)